



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



---

संख्या - 114 राँची, गुरुवार, 10 फाल्गुन, 1945 (श०)  
29 फरवरी, 2024 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

संकल्प

22 दिसम्बर, 2023

**संख्या-5/आरोप-1-406/2014-25492 (HRMS)--श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०** (कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ, गिरिडीह के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-2551/अभि0, दिनांक 02.11.2013 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

(i) पोबी पंचायत के चपादाहा एवं तेजपुर के 18 लाभुक जिन्हें इंदिरा आवास दिया गया था, वे सुखी-सम्पन्न परिवार के हैं तथा इंदिरा आवास लेने की अर्हता नहीं रखते हैं। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार इंदिरा आवास के आवंटन में आरोपी पदाधिकारी ने इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया ।

(ii) जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष एवं मनरेगा से निर्मित पंचायत भवन में मनरेगा मद से मो० मंसूर, पंचायत सचिव को दी गई अग्रिम तथा वन बैंक वन ब्लॉक के तहत काटी गई राशि अग्रिम चेक द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें मनरेगा मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अग्रिम राशि निर्गत करने में अनियमितता बरती गई है।

(iii) 13वें वित्त आयोग योजना के तहत एजेंसी मेसर्स शिल्पी कंस्ट्रक्शन सिरसिया, गिरिडीह एवं जयराम विश्वकर्मा, पंचायत सचिव के माध्यम से 42 पंचायतों में 74 चापाकलों के अधिष्ठापन में गाईडलाइन का अनुपालन एवं Estimate के अनुरूप कार्य नहीं कराने में अनियमितता बरती गई है।

उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 04.01.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) जमुआ प्रखण्ड में कुल 42 पंचायत हैं, जिसमें वर्ष 2010-11 से लेकर 2012-13 में इंदिरा आवास की कुल 2709 एवं विगत वर्षों के लंबित इंदिरा आवास, सिद्धू-कान्हु एवं दीनदयाल आवास योजनाओं की संख्या सम्मिलित रूप में 1000 से भी अधिक थी। इनके कार्यकाल (09.04.12 से 21.12.2012 तक) में 1300 से भी अधिक योजनाओं को पूर्ण कराया था।

प्रश्नगत इंदिरा आवास योजनाओं के संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त लाभुकों का चयन पंचायत सेवकों द्वारा प्रतीक्षा सूची के आधार पर की गई थी, जबकि चयनित लाभुक चयन की योग्यता नहीं रखते थे। शिकायत प्राप्त होने पर इन्होंने स्वयं उक्त योजनाओं की जाँच की तथा 9 लाभुकों को योजना का लाभ लेने योग्य नहीं पाया। प्रखण्ड स्तर पर पूर्व में तैयार तथा जिलास्तर पर अनुमोदित BPL प्रतीक्षा सूची दोषपूर्ण रहने के कारण ही अयोग्य लाभुकों का चयन संबंधित पंचायत सेवक द्वारा कर लिया गया। ग्राम सभा द्वारा भी प्रखण्ड के प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी लाभुकों को योग्य प्रतिवेदित किया गया था।

इनके द्वारा अयोग्य लाभुकों से राशि की वसूली मो० 46500 रु० कर ली गई थी, जिसकी नाजिर रसीद संलग्न है तथा दोषी पंचायत सेवक के विरुद्ध पत्रांक-119, दिनांक 21.01.2013 को प्रपत्र-‘क’ गठित कर उपायुक्त को भेज दिया गया था।

(ii) मनरेगा योजनांतर्गत प्रखण्ड स्तर पर लंबित 12 पंचायत सचिवालय भवनों का निर्माण कार्य इन्होंने पूर्ण करने के उद्देश्य से कार्यहित में अभिकर्ता श्री मो० मंसूर जो 7 योजनाओं के अभिकर्ता हैं, उन्हें मो० 10.50 लाख रु० मनरेगा मद से भुगतान किया तथा वर्षों से लंबित चली आ रही योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण कराते हुए व्यय की गई राशि का MIS डाटा प्रविष्टि भी कराया। उक्त लंबित योजनाओं के कारण 4 सरकारी कर्मी जो पंचायत सचिवालय के अभिकर्ता थे उनका वेतन भी जिलास्तर पर लंबित रखा गया था, जिसमें एक अभिकर्ता का वेतन उपायुक्त द्वारा पुनः रिलिज कर दिया गया। कनीय अभियंता की कमी एवं सहायक अभियंता के द्वारा

भवन निर्माण कार्य में रुचि नहीं लेने की शिकायत कई बार उनके द्वारा जिलास्तरीय बैठकों एवं पत्र के माध्यम से भी जिला प्रशासन को अवगत कराया ।

सभी योजनाओं में किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया गया बल्कि मापी के अभाव में भवनों की भौतिक स्थिति (फोटो एवं स्थल निरीक्षण) के पश्चात ही राशि का भुगतान किया गया था, जिसका समायोजन अभिलेख में मापी प्राप्त होने के पश्चात MR एवं अभिलेख के माध्यम से कर लिया गया था। सरकार के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से पंचायत सचिवालय का निर्माण युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश प्राप्त था, जिसके आलोक में कार्यरत राशि का भुगतान किया था ।

(iii) प्रखण्ड में 13वें वित्त आयोग की राशि से 74 चापाकलों का अधिष्ठापन का कार्य जिला स्तर पर PHED विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर प्रत्येक 42 पंचायतों में चापाकल लगाने का कार्य पंचायत समिति की बैठक में लिए गये निर्देशानुसार कराया गया था। उक्त योजना की जाँच उपायुक्त महोदय द्वारा कनीय अभियंता PHED द्वारा कराया गया था, जिसमें कराये गये कार्यों का मूल्यांकन भुगतान से कम दिखाया गया है। उक्त योजना का कार्य चालू था तथा अभिलेख की कार्यवाही भी बंद नहीं की गई थी, जिसे बाद में जाँचोपरान्त पाई गई कमी को संबंधित अभिकर्ता एवं एजेंसी द्वारा ठीक करा लिया गया था ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-2355, दिनांक 06.03.2014 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से निम्न बिन्दु पर प्रतिवेदन की माँग की गयी है- “क्या सभी चापानल का अधिष्ठापन होने के पश्चात् उसकी मापी के अनुसार देय अग्रिम राशि समायोजित है या वसूलनीय है?”

उक्त के आलोक में उपायुक्त, गिरिडीह पत्रांक-1608/अभि०, दिनांक 28.09.2022 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ ने अपने पत्रांक-1913, दिनांक 05.09.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि 42 पंचायतों के विभिन्न ग्रामों में कुल 74 चापाकलों का अधिष्ठापन मेसर्स शिल्पी कन्सट्रक्शन सिरसिया, गिरिडीह एवं जयराज विश्वकर्मा, पंचायत सचिव, जमुआ प्रखण्ड के द्वारा कराया गया है। मेसर्स शिल्पी कन्सट्रक्शन सिरसिया, गिरिडीह के विरुद्ध कोई राशि वसूलनीय नहीं है तथा श्री जयराज विश्वकर्मा, पंचायत सचिव के द्वारा कुल 4459/- रु० वसूलनीय राशि का प्रखण्ड नजारत में जमा करा दिया गया है ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा में पाया गया कि-

(i) आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि 09 अयोग्य लाभुकों को इंदिरा आवास योजनाओं का लाभ दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक-1177, दिनांक 22.09.2012 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात् संबंधित पंचायत सेवक पर आरोप पत्र का गठन एवं राशि वसूली करने की कार्यवाही की गई है ।

(ii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण में समर्पित है कि किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया गया बल्कि मापी के अभाव में भवनों की भौतिक स्थिति (फोटो एवं स्थल निरीक्षण) के पश्चात ही राशि का भुगतान किया गया था, जिसका समायोजन अभिलेख में मापी प्राप्त होने के पश्चात MR एवं अभिश्रव के माध्यम से कर लिया गया था ।

उक्त से स्पष्ट है कि कार्य के मापी कराये बिना अर्थात् बिना मापी पुस्त का उक्त राशि भुगतान किया गया है। बाद में किये गये मापी के पश्चात् MR एवं अभिश्रव प्राप्त कर सामंजन किया गया है ।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उपायुक्त द्वारा कराये गये जाँच में कनीय अभियंता PHED द्वारा कार्य का मूल्यांकन भुगतान से कम दिखाया गया है। योजना का कार्य चालू था तथा अभिलेख की कार्रवाई बंद नहीं हुई थी। जाँचोपरान्त पाई गई कमी संबंधित एजेंसी एवं अभिकर्ता द्वारा कार्य ठीक कर लिया गया था ।

उक्त कथन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा कार्य के दरम्यान कार्य के मूल्यांकन से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, जबकि अग्रिम देने संबंधी किसी प्रावधान का उल्लेख आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है ।

समीक्षोपरांत, श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1574, दिनांक 16.03.2023 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई है ।

उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 01.09.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित की गई है। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रतिवेदित है कि यह मामला वर्ष 2012 से लंबित रखा गया है। उक्त मामले पर इनके द्वारा दिनांक 04.01.2014 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था एवं लगभग 08 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् उपायुक्त द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। इतनी लम्बी अवधि तक इस मामले पर इनको पर्याप्त समय एवं नियमित मौका नहीं दिया गया, फलतः ये पिछले 10 वर्षों से मानसिक अवसाद एवं पीड़ा में रहे। द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित बिन्दुओं के आलोक में इनका पक्ष निम्नवत् है-

(i) 09 अयोग्य लाभकों का इंदिरा आवास का लाभ दिया जाना एवं अनुमंडल पदाधिकारी के जाँचोपरान्त संबंधित कर्मों के विरुद्ध प्रपत्र का गठित किया गया, के संबंध में स्पष्ट करना है कि प्लमार्गदर्शिका एवं जिला द्वारा संपुष्ट प्रतीक्षा सूची के आधार पर एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही किया गया था। इसमें किसी भी प्रकार की नियमावली की अनदेखी इनके स्तर से नहीं की गई है ।

(ii) कार्य का भुगतान बिना मापी पुस्त के किये जाने संबंधी बिंदु पर उपायुक्त द्वारा अंकित है कि भुगतान की गई राशि का समायोजन बाद में कर लिया गया, के संबंध में कहना है कि कार्य की

प्रगति के आधार पर कार्यहित में संबंधित कार्य एजेंसी को भुगतान किया गया था। उक्त समय पंचायत भवनों का कार्य कतिपय कारणों से काफी समय से लंबित था, जिसे विभिन्न अनुदेशों के आधार पर कार्य पूर्ण कराने के उद्देश्य मात्र से भुगतान किया गया था एवं किये गये कार्यों एवं भुगतान की गई राशि का सामंजन इनके द्वारा कर दिया गया था ।

(iii) उपायुक्त द्वारा कराये गये जाँच में कनीय अभियंता PHED द्वारा भुगतान की गई राशि में कम मापी पाया गया, के संबंध में कहना है कि कराये गये कार्यों के विरुद्ध भुगतान की गई राशि संबंधित एजेंसी को किया गया था। कार्य के मूल्यांकन में अधिक राशि का भुगतान कार्यहित में किया गया था एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई थी। द्वितीय कारण पृच्छा 10 वर्षों के बाद की गई है, फलतः संबंधित योजना का नियमावली उपलब्ध कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि 09 अयोग्य लाभकों को इंदिरा आवास लाभ देने से संबंधित कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन एवं राशि वसूली करने के संबंध में इनके द्वारा प्रतिवेदित है कि प्ल. मार्गदर्शिका एवं जिला द्वारा संपुष्ट प्रतीक्षा सूची के आधार पर एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही उक्त लाभकों को आवास स्वीकृत किया गया था। इसमें किसी भी प्रकार की नियमावली की अनदेखी इनके स्तर से नहीं की गई है ।

(ii) कार्य के मापी कराये बिना अधिक राशि भुगतान करने के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि कार्य की प्रगति के आधार पर कार्यहित में संबंधित कार्य एजेंसी को भुगतान किया गया था। उक्त समय पंचायत भवनों का कार्य कतिपय कारणों से काफी समय से लंबित था, जिसे विभिन्न अनुदेशों के आधार पर कार्य पूर्ण कराने के उद्देश्य मात्र से भुगतान किया गया था एवं किये गये कार्यों एवं भुगतान की गई राशि का सामंजन इनके द्वारा कर दिया गया था। उपायुक्त द्वारा भी प्रतिवेदित है कि भुगतान की गई राशि का समायोजन बाद में कर लिया गया है ।

(iii) उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1608/अभि०, दिनांक 28.09.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में अंकित है कि 74 चापाकलों का अधिष्ठापन संबंधित एजेंसी मेसर्स शिल्पी कन्सट्रक्शन सिरसिया, गिरिडीह के विरुद्ध कोई राशि वसूलनीय नहीं है तथा श्री जयराज विश्वकर्मा, पंचायत सचिव के द्वारा कुल 4459/- रु० वसूलनीय राशि का प्रखण्ड नजारत में जमा करा दिया गया है।

परन्तु उपरोक्त सारे तथ्यों के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि प्रश्नगत योजना में मापी कराये बिना मात्र कार्य को आधार बनाते हुए राशि का भुगतान किया गया है । हालांकि भुगतान की गई राशि का समायोजन बाद में कर लिया गया है। इसी तरह अयोग्य इंदिरा आवास लाभकों के लिए मात्र ग्राम सभा एवं संबंधित पंचायत सेवक को पूर्णरूप से दोषी ठहराते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ द्वारा

समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No. | Decision of the Competent authority                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | MANOJ KUMAR<br>JHK/JAS/160  | श्री मनोज कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमुआ, गिरिडीह के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

-----